UPVR010055392026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी प्रथम वाराणसी।
पीठासीन अधिकारी-कुलदीप सिंह-II, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1815 सन् 2026

अविनाश सेठ पुत्र श्री प्रेम कुमार सेठ निवासी के-50/55 अंबिया मंडी थाना कोतवाली वाराणसी।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उ०प्र०

.....अभियोजन पक्ष।

मु.अ.सं.-283/2026
अंतर्गत धारा-69,351(3),352,बी.एन.एस.
थाना-सारनाथ, वाराणसी।

1- आवेदक/अभियुक्त अविनाश सेठ पुत्र श्री प्रेम कुमार सेठ की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2- अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के माध्यम से कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन है। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कोई अग्रिम जमानत का आवेदन निस्तारित या लंबित नहीं है। आवेदक के विरूद्ध गलत व फर्जी तरीक पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है तथा आवेदक की कथित अपराध में कोई संलिप्तता नहीं है। अभियोजन कथानक में कोई वास्तविक सच्चाई नहीं है। आवेदक व वादी के मध्य प्रेम संबंध लगभग 4 वर्षों तक स्थापित रहा है। आवेदक व वादी के मध्य शादी करने के संबंध में कभी कोई बात नहीं हुयी थी और न ही वादी से कभी अपनी कोई पहचान ही छिपाई गयी थी। वादी के फ्लैट का किराया व उसकी गृहस्थी का सारा खर्च आवेदक द्वारा ही वहन किया जाता था। आवेदक द्वारा वादी के खर्चे में कटौती करने को रोकना व टोकना शुरू कर दिया जिस कारण वादी नाराज होने लगी। आवेदक को एक फर्जी अभियोग का अभियुक्त बना दिये जाने के कारण पुलिस गिरफ्तार करने पर अमादा है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

3- वादी मुकदमा की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए आपत्ति में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

4- राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त पर गंभीर आरोप है तथा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी।

5- आवेदक/अभियुक्त व वादी के निजी अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्को को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

6- केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा की तहरीर पर आवेदक/अभियुक्त अविनाश सेठ व शालिनी गुप्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु.अ.सं.-283/2026, अंतर्गत धारा- 69,351(3),352 बी.एन.एस. थाना-सारनाथ, वाराणसी में पंजीकृत करायी गयी है।

Digitally signed by Kuldeep Singh II
Date: 2026.06.10 14:22:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

7- वादी मुकदमा/पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा पीड़िता द्वारा बयान अंतर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. में भी अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2022 में उसकी मुलाकात अविनाश सेठ से हुयी। अविनाश ने उससे शादी किया किंतु उक्त शादी नकली थी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता से दहेज की मांग करने लगा तथा शारीरिक संबंध भी बनाता था। तदोपरांत आवेदक/अभियुक्त द्वारा एक अन्य लड़की शालिनी के साथ संबंध बनाया व शादी कर लिया तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा/पीड़िता को सुसाईड करने को कहने लगा। आवेदक/अभियुक्त व शालिनी द्वारा वादी के साथ गाली गलौज व मार पीट की गयी। वर्तमान में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 69,351(3),352 बी.एन.एस. में विवेचना प्रचलित है। अभियोजन की ओर आवेदक/अभियुक्त का एक केस का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। जो अंतर्गत धारा 392,411,413 भा.दं.सं. मु.अ.सं. 85/2020 थाना लालगंज जिला रायबरेली में पंजीकृत है।

8- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जयप्रकाश सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार ए० आई०आर० 2012 सुप्रीम कोर्ट 1676 के** पैराग्राफ संख्या 13, 14, 15, 18 व 21 में निम्न विधि प्रतिपादित की गयी है:-

"13. There is no substantial difference between Section 438 and 439 Cr.P.C. so far as appreciation of the case as whether or not a bail is to be granted, is concerned. However, neither anticipatory bail nor regular bail can be grant as a matter of rule. The anticipatory bail being at extraordinary privilege should be granted only in exception cases. The judicial discretion conferred upon the court has to be properly exercised after proper application of mind to decide whether it is a fit anticipatory bail.

14. In State of M.P. and another v. Ram Krishna Balothia and another, AIR 1995 SC 1198, this Court considered the nature of the right of anticipatory bail and of served as under

"We find it difficult to accept the contention that Section 438 of the Code of Criminal Procedure is an integral part of Article 21. In the first place, there was not provision similar to Section 438 in the old Criminal Procedure Code... Also anticipatory bail cannot be granted as a matter of right. It is essentially statutory right conferred long after the coming into force of the Constitution. I cannot be considered as an essential ingredient of Article 21 of the Constitution. And its non-application to a certain special category of offences cannot be considered as violative of Article 21."

15. While deciding the aforesaid cases, this Court referred to the 41" Report of the Indian Law Commission dated 24th September, 1969 recommending introduction of a provision for grant of anticipatory the bail wherein it has been observed that "power to grant anticipatory bail should be exercised in very exceptional cases."

18. Parameters for grant of anticipatory bail in a serious offence are required to be satisfied and further while granting such relief, the Court must record the reasons therefore. Anticipatory bail can be granted only in exception circumstances where the court is prima facie of the view that the applicant has falsely been enroped in the crime and would not misuse his liberty. **(See: D.K. Ganesh Babu v. P.TI. Manokaran and**

another vs. Mohd. Sajid Husain Mohd. S. Hjusain and others, (2008) 1 SCC 213; and Union of India v. Padam Narain Agarwal and others, (2008) 13 SCC 305).

21. The court may not exercise its discretion in derogation of established principles of law, rather it has to be in strict adherence to them. Discretion has to be guided by law, duly governed by rule and cannot be arbitrary, fanciful or vague. The court must not yield to spasmodic sentiment to unregulated benevolence. The order dehors the grounds provided in Section 438 Cr.P.C. itself suffers from non-application of mind and therefore, cannot be sustained in the eyes of law

9- आक्षेपित अपराध गंभीर प्रकृति का तथा महिलाओं के विरूद्ध सामाजिक अपराध है। प्रस्तुत मामले में तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

10- आवेदक/अभियुक्त अविनाश सेठ के द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1815/2026 निरस्त किया जाता है। सर्व संबंधित सूचित हो।

दिनांक-10.06.2026

(कुलदीप सिंह-II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
द्रुतगामी प्रथम, वाराणसी।

बिकास कुमार (आशुलिपिक)

जे.ओ कोड-यू.पी 1818